

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत राजस्थान हाइकोर्ट (S.D.) मुकाम बाणपुर

बनाम टीकमाराम वारे

किस्म मुकदमा राज्य 88, 188 नं 175/2022 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/08/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>खेताराम जाधव</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>88, 188 RA 188</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>9/8/2022</u> को पेश हो।</p>	
09/08/2022	<p>वादी वकील उपस्थित/प्रतिवादी (संख्या) - 1 श्री <u>टीकमाराम जाधव</u> द्वारा <u>बडाल निवासी</u> मय <u>इंधवालिया</u> जवाबदावा पेश किया गया व वादी द्वारा <u>आदुत वाद</u> की स्वीकार किया गया। बीच <u>प्रतिवादी</u> के वादी द्वारा कोई भी उधार श्री <u>इंधवालिया</u> नहीं चाही गई है इसलिए <u>प्रतिवादी</u> संख्या-2 से <u>8</u> को वादी वकील द्वारा लई किया गया। वादी वकील द्वारा वादी <u>साक्ष्य</u> के रूप में वादी <u>दस्तावेज PW-1- राजेंद्र पुत्र टीकमाराम जाति- मधवाल निवासी</u></p>	<p>राजेंद्र</p> <p>सुमेर कुमार</p> <p>टीकमाराम</p>

राजस्थान हाइकोर्ट (S.D.)
बाणपुर
राजेंद्र
सुमेर कुमार
टीकमाराम

राजस्थान हाइकोर्ट (S.D.)
बाणपुर
जिला - बाणपुर

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राज्यालय सहारन
(पीठाधीन)
वादीगण

रुग्गीणी मेगवाली श्री ठानी परवार टल्डा
 वायदु भीमजी लटमील - वायदु, PW-2-
 श्री सुमेर कुमार पुत्र श्री टोडमराम जाति-
 मेघवाल निवासी - रुग्गीणी मेगवाली श्री
 ठानी परवार मण्डल - वायदु भीमजी लट
 वायदु व प्रातेवाली वशील झा उ प्रातेवाली
 साक्ष्य हे रूप में DW-1- टोडमराम पुत्र
 रुग्गीणी जाति- मेघवाल निवासी - रुग्गीणी
 मेगवाली श्री ठानी परवार मण्डल - वायदु
 भीमजी लटमील - वायदु व PW-2- विशना-
 राम पुत्र रुग्गीणी जाति - मेगवाल निवासी -
 रुग्गीणी मेगवाली श्री ठानी परवार मण्डल -
 वायदु भीमजी लटमील - वायदु जिला-
 वाडमेर हे वायदु - पत्र फेरा विधे गई जिसे
 शामिल पत्रावली विद्या गया / दोनों पत्रों
 हे अधिवक्ताओं श्री लटल सुनी गई पत्रा-
 वली व पत्रावली हे संलग्न राजेंद्र रेड्ड
 पत्र संलग्न नडल रुग्गीणी मण्डल
 विद्या गया, वायदु रुग्गीणी उक्त विवाहित
 झा (ज) का श्री चंद्रक साबित होला ही
 मलका श्री रुग्गीणी परवार विद्या जाडर
 निवासी मलका ल लेखा जाडर शामिल
 पत्रावली विद्या गया, उक्त पत्रावली
 टोडर पत्रावली मलका सुमार ही, इज
 नलकर ल रुग्गीणी ही, दाखिल इल्ल ही।

सहायक कोर्ट (CDO)
 वायदु
 जिला - वाडमेर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या- 175/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. राजेन्द्र पुत्र टीकमाराम,		1. टीकमाराम पुत्र रूगाराम,
2. सुमेर कुमार पुत्र टीकमाराम,		2. किशनाराम पुत्र रूगाराम,
जाति- मेघवाल, निवासी- मेघवालों		3. गोमाराम पुत्र रूगाराम,
की ढाणी, बायतु भीमजी, तहसील-		4. चौखाराम पुत्र मुलाराम,
बायतु, जिला-वाडमेर		5. दलाराम पुत्र मुलाराम,
		6. बजरंगाराम पुत्र मुलाराम,
		7. शांति पत्नी मुलाराम,
		8. पारुदेवी पत्नी रूगाराम,
		जाति - मेघवाल, निवासी- रूगोणी
		मेघवालों की ढाणी, बायतु भीमजी,
		तहसील - बायतु, जिला - वाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपरिस्थित :- 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री रतनाराम जाखड़ वकील प्रतिवादी संख्या 01

-: निर्णय :-

दिनांक : 09/08/2022

वादीगण का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि मौजा रूगोणी मेगवालों की ढाणी, पटवार मण्डल बायतु भीमजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 875/743 रकबा 19.4726 हैक्टेयर की भूमि आई हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या-1, पूर्वज रूगाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेंट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है और वादी अपने पैतृक भूमि में सहखातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक विरासत है व विरसे अन्वयण मौके पर बहामी बटवारा किया हुआ है तथा वादी अपने हिस्से की भूमि पर बहामी बटवाड़ा अनुसार काश्त है। क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरुष के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करने का अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता को सूचना देकर, इकेवाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को निरकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं राजेन्द्र पुत्र टीकमाराम का शपथ पत्र PW 1, वादी

सहायक कलक्टर (SDO)

बायतु

जिला - वाडमेर

2 सुमेर कुमार पुत्र टीकमाराम का शपथ पत्र PW 2, स्वतंत्र गवाह के रूप में किशनाराम पुत्र
राम का शपथ पत्र PW 3 पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ
PW 1 पेश किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा
वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व उनके अधिवक्ता को सुना गया। बाद अवलोकन पाया गया कि
उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या-1 के पिता के कब्जे
काश्त की थी एवं सेटलमेंट के समय वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या-1 के पिता के नाम से
पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 उनके पूर्वज रूगाराम के विधिक
वारिसान् है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 का वादग्रस्त
भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या-1 के हिस्से के साथ
वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद-पत्र स्वीकार कर, डिक्री किया जाता है व
अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा रूगोणी मेगवालों की ढाणी, पटवार मण्डल
बायतु भीमजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 875/743 रकबा 19.4726 हैक्टेयर में प्रतिवादी
संख्या 1 के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की
भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो,
दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 09/08/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

- राजेन्द्र पुत्र टीकमाराम,
- सुमेर कुमार पुत्र टीकमाराम,
जाति- मेघवाल, निवासी- मेघवालों की
ढाणी, बायतु भीमजी, तहसील- बायतु,
जिला-बाड़मेर

- टीकमाराम पुत्र रूगाराम,
- किशनाराम पुत्र रूगाराम,
- गोमाराम पुत्र रूगाराम,
- चौखाराम पुत्र मुलाराम,
- दलाराम पुत्र मुलाराम,
- बजरंगाराम पुत्र मुलाराम,
- शांति पत्नी मुलाराम,
- पारुदेवी पत्नी रूगाराम,
जाति - मेघवाल, निवासी-
रूगोणी मेगवालों की ढाणी,
बायतु भीमजी, तहसील- बायतु,
जिला - बाड़मेर।

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या- 175/2022.

निर्णय दिनांक :- 09/08/2022

वादीगण वकील श्री खेताराम जाखड़ व प्रतिवादी वकील रतनाराम जाखड़, प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09/08/2022 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रूगोणी मेगवालों की ढाणी, पटवार मण्डल बायतु भीमजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 875/743 रकबा 19.4726 हैक्टेयर की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 09/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

जिला - बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शन के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	